(47)

<u>त्वरित डाक द्वारा</u>

सं. I-12011/1/2017-श.प्र.
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
शर्करा प्रशासन अनुभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक 4 जनवरी , 2018.

सेवा में,

निदेशक
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान,
कल्याणपुर, कानपुर – 208017.

विषय - सूचना का अधिकार, अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गयी सूचना – के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे, श्री अखिलेश कुमार पाण्डेय का दिनांक 12.12.2017 का पत्र अग्रेषित करने का निदेश हुआ है। श्री अखिलेश कुमार पाण्डेय ने अपने पत्र द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में मुख्य अभिकल्पक(Chief Designer) के पद के भर्ती नियमों के संशोधन, फीडर कैडर में कार्यरत पदों तथा फीडर कैडर में कार्यरत पदों की शैक्षिक योग्यता मैं किए गए परिवर्तन आदि के विषय में सूचना के लिए अनुरोध किया है।

2. सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अनुच्छेद 6 (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय शर्करा संस्थान , कानपुर से अनुरोध है कि अपेक्षित सूचना प्रार्थी को अविलम्ब भेजने की कृपा करें तथा उसकी प्रति इस विभाग को भी भेजने की कृपा करें।

भवदीय,

सलंग्नक: यथापरोक्त

4/1/18
(राकेश कुमार)
जनसूचना अधिकारी एवं अवर सचिव भारत सरकार
दूरभाष - 23383943

Sri D.S. Misra
m/file

प्रति:

1. श्री अखिलेश कुमार पाण्डेय, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कल्याणपुर, कानपुर – 208017
2. अवर सचिव, आई. सी . टी अनुभाग
   खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

N.S.I. Kanpur
Director Office
(निदेशक कार्यालय)
Date of Receipt 08-01-18
शर्करा संस्थान, कानपुर

निदेशक कार्यालय
क्रम सं0 ...46....
दिनांक 08-01-2018
कानपुर

(46) (20)

RTI (Cell) necessary

18 DEC 2017 RTI
डायरी संख्या 144554
किस शाखा / अनुभाग को भेजा......

सेवा में,

सचिव
उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
भारत सरकार कृषि भवन नई दिल्ली।

विषयः– जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005(R.T.I.) के अर्न्तगत सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र।

महोदय,

निवेदन है कि जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत निम्नलिखित सूचना उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

1. राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में मुख्य अभिकल्पक (chief Designer) के भर्ती नियम संशोधन में फीडर कैडर में डाले गये पदों को हटाया गया है?
2. वर्तमान भर्ती नियम में फीडर कैडर में कार्यरत सभी पद हैं? या उन पदों को हटाया गया है? यदि हाँ तो किस अधिनियम या किस की अनुमति से।
3. फीडर कैडर में कार्यरत पदों की शैक्षिक योग्यता (आवश्यक, वाछँनीय) में कोई परिवर्तन किया गया है। यदि हाँ तो इसकी भारत सरकार या मंत्रालय से अनुमति ली गई है।

उपरोक्त सूचना जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत उपलब्ध करवाये। विधिक शुल्क हेतु रु0 10 का पोस्टल आर्डर सं0 41F 912779 दिनाँक 12-12-17 संलग्न है।

दिनाँक 12-12-17

भवदीय
(हस्ताक्षर)
अखिलेश कुमार पाण्डेय
पुत्र श्री कृष्ण मुरारी पाण्डेय
राष्ट्रीय शर्करा संस्था कल्यानपुर
कानपुर नगर–208017
मो0नं0–9984364957

180/RTI/2017
19/12/2017

Transfer to NSI under 6(3) of RTI Act 2005.
28/12

DOFPD/R/2017/00169
U.S (Sugar Admn)

SO(SA) 28/12
Mrs. Kaur

(63)

सं. 25(52)/2017-18/RTI

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान
National Sugar Institute
ISO 9001:2015 प्रमाणित संस्थान
An ISO 9001:2015 Certified Institute
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग,
Department of Food & Public Distribution
भारत सरकार
Government of India

फोन 2570541, 542
फैक्स 0512-2570247

कानपुर, दिनांक-22.1.2018

सेवा में,

श्री अखिलेश कुमार पांडेय,
ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-1,
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर-17

जारी
संख्या 1259-126
दिनांक 22/1/18

विषय- RTI, 2005 के संबंध में।

महोदय,

आपको RTI, 2005 के तहत सूचना प्रदान करने के संबंध में मंत्रालय से अवर सचिव द्वारा प्राप्त पत्रांक-I-12011/1/2017-श.प्र., दि. 04.1.2018 के संबंध में वांछित सूचना क्रमवार निम्नानुसार है-

उत्तर क्रं.-1 राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर में मुख्य अभिकल्पक (Chief Designer) के भर्ती नियम अभी संशोधित नहीं हुये हैं।

उत्तर क्रं.-2 वर्तमान भर्ती नियम में फीडर कैडर के पद को नहीं हटाया गया है।

उत्तर क्रं.-3 मुख्य अभिकल्पक (Chief Designer) का पद ग्रुप 'A' के तहत आता है। अतः इस पद की शैक्षिक योग्यता इत्यादि का निर्धारण मंत्रालय एवं संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा किया जाता है।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप दी गई उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में इस पत्र के जारी करने के 30 दिन के अंदर आप प्रथम अपीलीय अधिकारी को निम्नलिखित पते पर अपील कर सकते हैं-

श्री नरेन्द्र मोहन,
निदेशक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, कानपुर - 208 017

भवदीय,

(जितेन्द्र सिंह)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं
सहा. आचार्य शर्करा प्रौद्योगिकी

कार्यालय प्रति

प्रतिलिपि- श्री राकेश कुमार, अवर सचिव एवं जनसूचना अधिकारी, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन नई दिल्ली को सूचनार्थ।